रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2015/ज्येष्ठ 15, 1937
No. 374] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/JYAISTHA 15, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2015

सा.का.नि. 465(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 406 के साथ पठित धारा 462 उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 31 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.517(अ) और 08 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 326(अ) अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अधीन जारी किसी अन्य अधिसूचना को अधिक्रांत करते हुए, सिवाय उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है अथवा करने से लोप किया गया है, लोकहित में यह निदेश देती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंध, जो सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, के किन्ही निधियों को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू नहीं होगें या लागू होगें, अर्थात् :—

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंध	अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 20 की उपधारा 2	इन उपांतरणों के अधीन रहते हुए, लागू होगी कि किसी निधि के मामले के दस्तावेज की तामील केवल उन्ही सदस्यों पर की जा सकेगी जिनके पास अंकित मूल्य के एक हजार रूपए से अधिक के शेयर या निधियों की कुल समादत्त शेयरपूंजी एक प्रतिशत से अधिक, इनमें से जो भी कम हो, धारण करता है। अन्य शेयरधारकों के लिए, दस्तावेजों की उस जिले में, जहां निधि का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, परिचालित समाचार पत्रों में किसी लोक सूचना द्वारा और उस दस्तावेज की निधि के सूचनापट्ट पर प्रकाशित करके तामील की जा सकेगी।
2.	धारा 42, उसकी उप-धारा (1), उप-धारा (2) के	लागू नहीं होगी।

	स्पष्टीकरण, उप-धारा (4), उप-धारा (6), उप-धारा (8), उप-धारा (9) और उप-धारा (10) के सिवाय	
3.	धारा 47 की उप-धारा (1) का खंड (ख)	इस उपांतरण के अधीन रहते हुए, लागू होगा कि कोई भी सदस्य इक्विटी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के पांच प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग मतदान में नहीं करेगा।
4.	धारा 62	लागू नहीं होगी।
5.	धारा 67 की उप-धारा (1)	तब लागू नहीं होगी जब कंपनी द्वारा किसी सदस्य से उसके निक्षेपकर्ता या देनदार न रहने पर, क्रय किए गए हों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के अधीन पूंजी में कमी के रूप में नहीं माना जाएगा।
6.	धारा 123 की उप-धारा (5)	इस उपांतरण के अधीन रहते हुए, लागू होगी कि नकद में देय किसी लाभांश का संदाय उस सदस्य के खाते में जमा करके किया जा सकता है, यदि लाभांश की दावा लाभांश की घोषणा के 30 दिन के भीतर नहीं किया जाता है।
7.	धारा 127	इस उपांतरण के अधीन रहते हुए, लागू होगी कि जहां किसी सदस्य को देय लाभांश एक सौ रुपए या उससे कम का है तो यह उस दशा में धारा के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि, लाभांश की घोषणा की सूचना व्यापक परिचालन वाले किसी एक स्थानीय समाचार पत्र में स्थानीय भाषा में दी गई हो और उक्त लाभांश की घोषणा निधियों के सूचना पट्ट पर भी कम से कम तीन मास तक प्रदर्शित भी की गई हो।
8.	धारा 136 की उप-धारा (1)	इस उपांतरण के अधीन रहते हुए, लागू होगा कि उन सदस्यों के मामले में जो अंकित मूल्य एक हजार रुपए से अधिक अथवा कुल समादत्त शेयरपूंजी के एक प्रतिशत से अधिक शेयर, इनमें से जो भी कम हो, व्यक्तिक रूप से या संयुक्त रूप से धारण करते हैं, इस धारा के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि उस जिले में जिसमें निधि का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, परिचालित समाचार पत्र में वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान की सूचना देते हुए यह कथन करते हुए लोकसूचना द्वारा यह संसूचना प्रकाशित की गई हो कि कंपनी के वित्तीय विवरण और इसके संलग्नकों का निरीक्षण कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में किया जा सकता है और वित्तीय विवरण संलग्नकों सहित कंपनी के सूचना पट्ट पर लगाया गया हो तथा कोई सदस्य या व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी के माध्यम से मत देने का हकदार है।
9.	धारा 160	उपधारा (1) में "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएँगे।
10.	धारा 185	लागू नहीं होगी परंतु तब जबकि उधार किसी निदेशक या उसके नातेदार को सदस्य के रूप में उसकी हैसियत में दिया जाए और संव्यवहार का प्रकटन एक टिप्पण द्वारा वार्षिक लेखे में किया जाए।
11.	धारा 197 की उप-धारा (1) का दूसरा परंतुक	इस उपारंतरण के साथ लागू होगा कि निधि के प्रति संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट विशिष्ट सेवाओं के अनुपालन के लिए किसी निदेशक को जो न तो प्रबंध निदेशक है न पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक है, पारिश्रमिक का संदाय साधारण अधिवेशन में कंपनी के अनुमोदन के और धारा 197 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मासिक संदाय के रूप में किया जा सकेगा; परंतु साधारण अधिवेशन में कंपनी का अनुमोदन उस दशा में अपेक्षित नहीं होगा जहां कि –

		(क) निधि में कोई प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक न हो; (ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निधि के सभी निदेशकों को देय पारिश्रमिक ऐसी निधि के शुद्ध लाभ के दस प्रतिशत अथवा पंद्रह लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक न हो; तथा (ग) खंड (ख) के अधीन देय पारिश्रमिक निधि द्वारा इस निमित्त पारित किसी विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित हो।
12.	धारा 403	इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि धारा 42 की उपधारा (9) के अधीन आबंटन संबंधी प्रत्येक विवरणी के संबंध में फाइल किए जाने की फीस की गणना, विवरणी में सम्मलित शेयरों के अंकित मूल्य पर प्रत्येक सौ रुपए अथवा उसके किसी भाग के लिए एक रुपए की दर से की जाएगी किंतु वह फाइल किए जाने की साधारण फीस की रकम से अधिक नहीं होगी।

2. निधियां पूर्वोक्त सारणी के स्तम्भ (3) में ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों का अनुपालन करते हुए, अपने शेयरधारकों के हितों की संरक्षा सुनिश्चित करेंगी।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार इस अधिसूचना की एक प्रति संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रारूप रूप में रखी गई है।

[फा. सं. 2/11/2014-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2015

G.S.R. 465(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 462 read with section 406 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of notification number GSR 517(E), dated the 31st August, 2006 and GSR 326(E), dated the 8th April, 2011 or any other notification issued under section 620A of the Companies Act, 1956, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in the interest of public, hereby directs that certain provisions of the Companies Act, 2013, as specified in column (2) of the Table, shall not apply or shall apply with such exceptions, modifications and adaptations, as specified in column (3) of the said Table, to *Nidhis*, namely:—

Serial No.	Provisions of the Companies Act, 2013	Exceptions, modifications and adaptations
(1)	(2)	(3)
1.	Sub-section (2) of Section 20	Shall apply subject to the modification that in the case of a Nidhi, the document may be served only on members who hold shares of more than one thousand rupees in face value or more than one per cent. of the total paid-up share capital of the Nidhis whichever is less. For other shareholders, document may be served by a public notice in newspaper circulated in the district where the Registered Office of the Nidhi is situated; and publication of the same on the notice board of the Nidhi.
2.	Section 42 except sub-section (1), explanation (II) to sub-section (2), sub-sections (4), (6), (8), (9) and (10)	Shall not apply.